न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल, दरभंगा।

जिला:– दरभंगा,बिहार।

K. Asthan P.S.Case No.:- 76/2021
G.R.No.:- 252/2021

दिनांक 07.07.2021 आदेश

Virtual Court:

काराधीन आवेदक/अभियुक्त अमर यादव पुत्र रामचन्द्र यादव की ओर से दिनांक 05.07.2021 को विद्वान अधिवक्ता ललन कुमार द्वारा e–mail के माध्यम से नवीन वकालतनामा के साथ एक जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि e–mail द्वारा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को दी गयी है। जमानत आवेदन को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज दिनांक 07.07.2021 को प्रचालित किया गया। उभयपक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं और उसने कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के पूर्व किसी वरीय न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है और न ही किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक संदेह के आधार पर झूठे मामले में फंसाया गया है। यदि आवेदक पर कोई आरोप लगाया गया है तो ऐसा संपूर्ण अभियोजन कथानक असत्य और आधारहीन है। ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत दुश्मनीवश आवेदक को गलत ढंग से फंसाया गया है। आवेदक लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा किया जाये।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनदहाड़े लूट कारित किये जाने का सह–अभियुक्त है और जमानत का हकदार नहीं है। जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाये।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से विदित है कि सूचक बृजेश कुमार गुप्ता उर्फ छोटू के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या– 76/2021 दिनांक 19.04.2021 अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 392 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक बृजेश कुमार गुप्ता उर्फ छोटू पिता रामकुमार गुप्त दिनांक 18.04.2021 को व्यापारी से 375100/– रुपया वसूलकर आने के दौरान समैला चौक से दक्षिण की ओर रोड से आने पर पीपल के पेड़ के पास नीला अपाचे बाइक पर दो बदमाशों द्वारा घेरकर फायरिंग करते हुये पिस्टल दिखाकर बैग भरा पैसा व सामान छीनकर भाग गये। आवेदक/अभियुक्त को कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या– 88/2021 दिनांक 8.05.2021 से इस मामले में दिनांक 19.06.2021 को न्यायिक

अभिरक्षा में लिया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया है जो अभिलेख पर है। आवेदक ने स्वीकार किया है कि हम अपने साथी राकेश यादव एवं मुकेश यादव के साथ झझड़ा के दुकानदार सोनू गुप्ता से 100000/– रूपये की मांग किये थे तथा पैसा नहीं दिये जाने पर उसके भाई बृजेश कुमार गुप्ता से दिनांक 18.04.2021 को साथियों के साथ मिलकर समैला चौक के आगे दो पीपल के पेड़ के पास से 375000/– रुपया तथा दो मोबाइल कट्टा के बल पर फायरिंग करते हुए दिन में 15:30 बजे लूट कर भाग गये थे। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी में आवेदक के विरुद्ध मामले में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। आवेदक का अपराधिक इतिहास भी कांड दैनिकी में दर्ज किया गया है जिसके अनुसार आवेदक ने कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या– 16/2020 दिनांक 22.01.2020 भा०दं०वि० की धारा 147,148, 149,323,385, 504,506 एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत, कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या– 88/2021 दिनांक 8.05.2021 अंतर्गत धारा 25(1-b)a/26/35 आयुध अधिनियम दर्ज किया गया है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त अन्य अपराध के साथ इस मामले में भी अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनदहाड़े कट्टा दिखाकर व्यापारियों से वसूली कर आ रहे सूचक के साथ लूट किये जाने की बात को स्वीकार किया है। उस पर आरोपित धारा 392 भा०दं०वि० के अंतर्गत संगीन अजमानतीय अपराध है और उसका आपराधिक इतिहास भी है तथा मामला अभी अनुसंधान के क्रम में है। आवेदक द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यासंगत है।

अत: उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित है और न ही वह जमानत का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अत: काराधीन आवेदक/अभियुक्त अमर यादव पुत्र रामचंद्र यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

टंकित/लेखापित

07-07-2021

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,
बिरौल, दरभंगा।